

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016-श्रावण 14, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

यह कि मैं, उपरोक्त पते पर निवास कर रहा हूँ. यह कि शाला में मेरा नाम अरूण पिता दौलतराव बरडे है और संपत्ति के रिकार्ड में नाम नरेन्द्र पिता दौलतराम बरडे है एवं बच्चों के शालये रिकार्ड में मेरा नाम नरेन्द्र बरडे दर्ज है एवं मेरा परिचय-पत्र, आधार कार्ड, मूल निवासी में मेरा नाम नरेन्द्र उर्फ अरूण बरडे दर्ज है.

यह कि नरेन्द्र एवं अरूण यह दोनों नाम मेरा ही हैं, इसलिये मेरा नाम जिस-जिस जगह पर नरेन्द्र पिता दौलतराव बरडे, अरूण पिता दौलतराव बरडे है, को नरेन्द्र पिता दौलतराव बरडे ही पढ़ा जावे एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

( नरेन्द्र उर्फ अरूण )

पिता दौलतराव बरडे.

नया नाम :

( नरेन्द्र )

पिता दौलतराव बरडे,  
निवासी-कबरपिपला, तह. सौंसर,  
जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) पिन कोड-480108.

(267-बी.)

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पूर्व में मुझे सोनिया सूद ( SONNIYA SOOD ) के नाम से जाना-जाता था वर्तमान में मेरा नाम सोनिया सूद ( SONIA SOOD ) कराना चाहती हूँ. अब मुझे सोनिया सूद ( SONIA SOOD ) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( सोनिया सूद )

( SONNIYA SOOD )

नया नाम :

( सोनिया सूद )

( SONIA SOOD )

पत्नि कर्नल ( रिटा. ) राजीव सूद,  
निवासी-म. नं. 8, ऋषि विला,  
पोस्ट ऑफिस-गांधीनगर,

(268-बी.)

आशाराम बापू चौराहा के पास, भोपाल ( म. प्र. ).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि विवाह से पूर्व मेरा नाम कुमारी ज्योति पुत्री श्री विजय कुमार तिवारी था. विवाह दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती ज्योति पाण्डेय पति श्री अमित कुमार पाण्डेय हो गया है. आगे मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( कुमारी ज्योति )

पुत्री श्री विजय कुमार तिवारी,

(269-बी.)

नया नाम :

( ज्योति पाण्डेय )

पति श्री अमित कुमार पाण्डेय,

निवासी-एस. एम. ब्यू-1069/11,

वायु सेना स्टेशन, महाराजपुरा, ग्वालियर ( म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

मैं, सपना गुप्ता पत्नी अरुण कुमार, निवासी अशोका गार्डन, भोपाल घोषणा करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम सपना पटेल पुत्री श्री मकरंद पटेल था. विवाह उपरांत अब बदलकर सपना गुप्ता पत्नी अरुण कुमार, निवासी रफीगंज, जिला औरंगाबाद (बिहार) हो गया है, वर्तमान में मैं, बैंक ऑफ इंडिया में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ जो सत्य है. अतः मुझे सपना गुप्ता पत्नी अरुण कुमार के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

( सपना पटेल )

(270-बी.)

नया नाम :

( सपना गुप्ता )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मार्कशीट में मेरा नाम राजेन्द्र अंकित है. कुछ समय उपरांत बैंक सेवा (पी. एस. यू.) एस. बी. आई. में आने के बाद मैंने अपना नाम बदलकर राजेन्द्र के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पवार रख लिया है. अब मुझे भविष्य में राजेन्द्र कुमार पवार के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( राजेन्द्र )

(271-बी.)

नया नाम :

( राजेन्द्र कुमार पवार )

पुत्र श्री राम नारायण,  
पारखजी का बाड़ा, दौलतगंज,  
लश्कर, ग्वालियर ( म.प्र.).**CHANGE OF NAME**

I, Inform that my client Mrs. BALVINDER ARORA D/o MR. INDER SINGH ARORA was reside at the VILLAGE MOH IN BHIND DISTRICT, Marriage on 16-05-1982 in Hindu Sikh custom with MR. RANJEET SINGH CHHABRA S/o MR. BALDEV SINGH CHHABRA (Late), residing at VILLAGE GORMI, IN BHIND DISTRICT. Before marriage the name of my client was BALVINDER ARORA and after the marriage her name is changed to QUEEN CHHABRA W/o RANJEET SINGH CHHABRA. So I inform that MRS. BALVINDER CHHABRA and MRS. QUEEN CHHABRA are the name of the same person so I wish to identify with the name of MRS. QUEEN CHHABRA.

(272-B.)

**ADV. SAMMER PANDEY,**Off:- Basera Hotel, Gandhi Market,  
Chhavadi Bazar, Lashkar,  
Gwalior ( M. P.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पूर्व में मेरा नाम वंदना जैन (Vandna Jain) था. वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरा नाम सविता जैन (Savita Jain) हो गया, होकर मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( वंदना जैन )

( VANDNA JAIN )

(273-बी.)

नया नाम :

( सविता जैन )

( SAVITA JAIN )

निवासी-1/18, महेश नगर, इन्दौर ( म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कुमारी शशिकान्ता गढ़वाल अंकित है। विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर शशि गुप्ता हो गया है और अब मैं शशि गुप्ता (SHASHI GUPTA) के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

नया नाम :

( कुमारी शशिकान्ता गढ़वाल )

( शशि गुप्ता )

(274-बी.)

पत्नी-श्री राम कुमार गुप्ता,  
निवासी-एम-83, भारती निकेतन,  
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पूर्व में मेरा नाम आकाश मिश्रा था। अब मेरा नाम परिवर्तित होकर आकाश रानीसन (Aakash Ranison) हो गया है।

अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

( आकाश मिश्रा )

( आकाश रानीसन )

(275-बी.)

515/9, समाजवादी इंदिरा नगर,  
इन्दौर-452009 (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

It is for general information that I Kamlesh son of Devidas Tolani (D.O.B. 16 Oct. 1984), residing at H.No. 122, Pooja Shree Nagar, C.T.O. Bairagarh, Bhopal-462030 declare that I have changed my name from Kamlesh to Kamlesh Tolani vide affidavit dated 21-07-2016 sworn before Notary R.N. Tripathi, Bhopal.

Old Name :

New Name :

( KAMLESH )

( KAMLESH TOLANI )

(276-B.)

**विविध****निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2016

क्र. जी.बी.चार/पेपर(1) 2016-17/2052.— ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 27 अगस्त, 2016 अपरान्ह 5.00 बजे तक की-डेट्स भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपर क्रय हेतु निर्माता मिल/अधिकृत डीलर/अधिकृत एजेंट से आमंत्रित की जाती है।

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in) पर भी रखा गया है।
3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा। ऑनलाईन निविदा एवं हार्डकॉपी दिनांक 29 अगस्त, 2016 अपरान्ह 3.00 बजे की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

Bhopal, Dated 27<sup>th</sup> July, 2016**TENDER NOTICE**

No.GB-IV-Paper (1)2016-17/2052.—1. **ONLINE Bidding go through** IT Department Portal <https://mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 5.00 P.M. on 27<sup>th</sup> August, 2016 as per Key Dates for the Purchase of various types of Printing Papers from manufacturing mills or their authorized dealers can participate.

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)
3. In all respects Hard copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the office of the undersigned as per Key-Dates. Envelope 'A' Hard copy of Technical Tender will be opened ONLINE on or before 3.00 P.M. on 29<sup>th</sup> August, 2016 and as per Key Dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.
4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://mpeproc.gov.in>.

**SANJEEV SINGH,**

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(584-A)

**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ**

रा. प्र.क्र. 01/बी-113/15-16.

झाबुआ, दिनांक 14 जुलाई, 2016

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र./2569/रीडर/2016.—आवेदक श्री सेकु, अध्यक्ष इच्छापूर्ण हनुमान पारमार्थिक ट्रस्ट, नवापाड़ा, तहसील झाबुआ द्वारा इच्छापूर्ण हनुमान पारमार्थिक ट्रस्ट, नवापाड़ा को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा-4-5 मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई 28 जुलाई, 2016 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 28 जुलाई, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होंगे. निर्धारित समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**पब्लिक ट्रस्ट का नाम/पता तथा सम्पत्ति का विवरण**

ट्रस्ट का नाम	:	इच्छापूर्ण हनुमान पारमार्थिक ट्रस्ट, नवापाड़ा.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 9,020/- (नौ हजार बीस रु.) केन्द्रीय सहकारी बैंक पारा में जमा हैं.

सैयद अशफाक अली,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(571)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, तहसील हातोद, जिला इन्दौर**

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“आवेदक जनबा हूसैन सैफुद्दीन विधिवत् मुख्तार के द्वारा नामित लोक न्यास के एकमात्र न्यासी का विधिवत् मुख्तार द्वारा मध्यप्रदेश लो. न्या. अधि. के तहत कथित न्यास के सम्बन्ध में लोक न्यासों के रजिस्ट्रार में परिवर्तन किये जाने बावद् आवेदन मय दस्तावेजों के पेश किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसमें चाहे गये संशोधन/परिवर्तन जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं उसमें चाहे गये संशोधन/परिवर्तन का विवरण)

“अंजुमन-ए-मौयदी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट” गांधीनगर, इन्दौर

पंजीकृत संख्या 02/2013 (हातोद).

पता : बोहरा मस्जिद, बोहरा कॉलोनी, गांधीनगर, इन्दौर मध्यप्रदेश.

- (1) लो. न्या., पंजी क्र. 3 में हिज होलनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन (त.उ.श.) 53 के दाई-अल मुतल्लक एवं उनके उत्तराधिकारियों के नाम, अल-दाई-अल मुतल्लक के कार्यालय जो कि बदरी महल डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट मुम्बई में स्थित है में एकमात्र न्यासी के रूप में दर्ज किये जाने हेतु.
- (2) 52 वे दाई-अल-मुतल्लक हिज होलनेस डॉ. सैयदना मो. बुरहानुद्दीन ( र.अ.) के दिनांक 17 जनवरी, 2014 के दुखःद निधन के कारण उनके उत्तराधिकारी 53 वे दाई-अल-मुतल्लक हिज होलनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन (त. उ. श.) के नाम को दर्ज किया जाने हेतु.

आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अनिल बनवारिया,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(585)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी ( सामान्य ) वनमण्डल, बड़वानी

समस्त पशु स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं जो पशु-स्वामी, चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु/मवेशी चराते हुए पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध वन नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र	चराई से प्रतिबंधित स्थल	कक्ष क्रमांक	वर्ष	हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	पाटी	बिगड़े वनों में सुधार, बिलबारा	1172	2010-11	51.15
2.	-, -	बिगड़े वनों में सुधार, मान्याखेत	1151	-, -	45.89
3.	-, -	बिगड़े वनों में सुधार, सागबारा	1157	-, -	69.81
4.	-, -	बिगड़े वनों में सुधार, मेंढकीमाल	1162	-, -	51.76
5.	-, -	उर्जावन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-, -	20.00
6.	-, -	उर्जावन एवं चारागाह विकास, कुली घोंघसा	127	-, -	20.00
7.	-, -	भूमि संरक्षण योजनाएं, मगरपाटी	88	-, -	50.00
8.	राजपुर	मिश्रित रोपण, बोबलवाडी	1004	-, -	25.00
9.	-, -	उर्जावन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	-, -	10.00
10.	-, -	ओंकारेश्वर निधि, कुसमरी	1003	-, -	28.00

1	2	3	4	5	6
11.	राजपुर	ओंकारेश्वर निधि, बोललवाडी	1004	2010-11	19.00
12.	--,-	ओंकारेश्वर निधि, ठीकरी	993	--,-	23.00
13.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानौद	1021	--,-	30.00
14.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	P-329	--,-	50.00
15.	--,-	चारागाह विकास, उपला	31	--,-	59.80
16.	--,-	चारागाह विकास, मोरानी	36	--,-	34.71
17.	--,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	--,-	57.32
18.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	1	--,-	35.00
19.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	--,-	50.00
20.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	--,-	50.00
21.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सगाईमोडी	15	--,-	40.00
22.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानोद	27	--,-	30.00
23.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	329	--,-	50.00
24.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोललवाडी	1004	--,-	25.00
25.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, जलगोन	1003	--,-	45.00
26.	--,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोललवाडी	1004	--,-	55.00
27.	--,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	--,-	10.00
28.	--,-	चारागाह विकास, निहाली	14	--,-	64.00
29.	--,-	चारागाह विकास, उपला	31	--,-	77.49
30.	--,-	चारागाह विकास, उपला	38	--,-	76.96
31.	--,-	वृक्षारोपण कार्य, बांदरकच्छ	P-321	--,-	30.00
32.	--,-	वृक्षारोपण कार्य, बांदरकच्छ	P-321	--,-	45.00
33.	--,-	वृक्षारोपण कार्य, बघाड़ी	P-322	--,-	65.00
34.	--,-	वृक्षारोपण कार्य, बघाड़ी	P-323	--,-	50.00
35.	--,-	वृक्षारोपण कार्य, दानोद	27	--,-	50.00
36.	--,-	वृक्षारोपण कार्य, चकेरी	P-319	--,-	10.39
37.	बोकराटा	बिगड़े वनों में सुधार, बेडीफरतला	1178	--,-	69.71
38.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, बन	1214	--,-	49.78
39.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, रामगढ़	1259	--,-	37.74
40.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, देवगढ़	1240	--,-	47.93
41.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, बोरकुंड	1187	--,-	70.80
42.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, मोरानी	1244	--,-	71.43
43.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, झरार	1229	--,-	54.53
44.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, मतरकुण्ड	1226	--,-	33.91
45.	--,-	बिगड़े वनों में सुधार, हाटबावडी	1261	--,-	58.88

1	2	3	4	5	6
46.	बोकराटा	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गारा	269	2010-11	10.00
47.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हरला	203	-,-	10.00
48.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,-	10.00
49.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पिपरकुंड	231	-,-	10.00
50.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चोकी	211	-,-	10.00
51.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हाटबावडी	279	-,-	10.00
52.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीवाडी	259	-,-	10.00
53.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, शिवनी	226	-,-	10.00
54.	-,-	आर. डी. एफ., बेडीफरतला	183/2	-,-	46.74
55.	-,-	आर. डी. एफ., बोरकुंड	192/2	-,-	47.75
56.	-,-	आर. डी. एफ., मतरकुंड	231/2	-,-	42.49
57.	-,-	आर. डी. एफ., मोरानी	249/2	-,-	22.50
58.	-,-	आर. डी. एफ., रामगढ	264/2	-,-	49.10
59.	बड़वानी	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	1039	-,-	10.00
60.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	1066	-,-	10.00
61.	-,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,-	48.34
62.	-,-	भू-जल संरक्षण, बलखड	87	-,-	42.53
63.	-,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,-	57.99
64.	-,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72 II	-,-	79.98
65.	-,-	चारागाह विकास, मरदई	295 III	-,-	51.33
66.	-,-	चारागाह विकास, केली	284 II	-,-	56.17
67.	-,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60 II	-,-	47.61
68.	-,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,-	65.86
69.	-,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,-	56.67
70.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	41	-,-	54.82
71.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	61.21
72.	पाटी	आर. डी. एफ., बिलवारा	177/3	2011-12	60.43
73.	-,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	156/2	-,-	56.57
74.	-,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	167/2	-,-	57.57
75.	-,-	आर. डी. एफ., सागबारा	162/2	-,-	51.34
76.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,-	46.91
77.	-,-	भू-जल संरक्षण, कुली	131	-,-	60.70

1	2	3	4	5	6
78.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	2011-12	56.05
79.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,-	58.84
80.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,-	45.47
81.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,-	45.02
82.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,-	41.56
83.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	144	-,-	60.65
84.	-,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,-	67.66
85.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, मान्याखेत	1151	-,-	50.00
86.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सागबारा	1158	-,-	50.00
87.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,-	10.00
88.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, कुली/घोंघसा	127	-,-	20.00
89.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,-	10.00
90.	बोकराटा	आर. डी. एफ., बन	219/2	-,-	42.50
91.	-,-	आर. डी. एफ., हाटबावडी	266/2	-,-	55.02
92.	-,-	आर. डी. एफ., झरार	234/2	-,-	37.90
93.	-,-	आर. डी. एफ., देवगढ	245/2	-,-	50.33
94.	-,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,-	39.81
95.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,-	32.68
96.	-,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,-	50.93
97.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, हरला	103	-,-	10.00
98.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीबाडी	259	-,-	10.00
99.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पोखल्या	279	-,-	10.00
100.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	211	-,-	10.00
101.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पीपरकुंड	231	-,-	10.00
102.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पश्चिम	226	-,-	10.00
103.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,-	36.49
104.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	192	-,-	46.92
105.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,-	57.60
106.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,-	64.75
107.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुंड	231	-,-	55.66
108.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,-	43.77



1	2	3	4	5	6
109.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	2011-12	23.73
110.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	264	-,,-	58.23
111.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	55.00
112.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	50.31
113.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	220	-,,-	28.99
114.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	66.72
115.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	49.81
116.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,,-	74.89
117.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,,-	43.73
118.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	57.22
119.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	264	-,,-	41.28
120.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	54.92
121.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	206	-,,-	72.74
122.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	216	-,,-	45.75
123.	-,,-	चारागाह विकास, रोषमाल	270	-,,-	67.82
124.	बड़वानी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	10.00
125.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	10.00
126.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	72.17
127.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	37.71
128.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	63.22
129.	-,,-	चारागाह विकास, गोठानिया	41	-,,-	84.41
130.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	62.11
131.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	41.12
132.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	102.57
133.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60	-,,-	50.82
134.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,,-	65.84
135.	-,,-	चारागाह विकास, केली	285	-,,-	59.43
136.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,,-	63.17
137.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	51.03
138.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	49.47
139.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	29.65

1	2	3	4	5	6
140.	बड़वानी	चारागाह विकास, गारा	269	2011-12	65.81
141.	-,-	चारागाह विकास, नागलवाड़ी	36	-,-	83.61
142.	-,-	चारागाह विकास, खडक्यामऊ	31	-,-	48.12
143.	-,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,-	55.39
144.	-,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,-	50.79
145.	-,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,-	40.01
146.	-,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,-	53.30
147.	-,-	चारागाह विकास, केली	285	-,-	32.70
			292		28.03
148.	-,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,-	18.96
			297		34.14
149.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावड़ी	42	-,-	44.54
150.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावड़ी	45	-,-	61.82
151.	-,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,-	56.62
152.	-,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,-	76.56
153.	-,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	60	-,-	64.80
154.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2012-13	68.34
155.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,-	44.98
156.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,-	41.96
157.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सांगबारा	162	-,-	44.02
158.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,-	51.98
159.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	-,-	51.83
160.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,-	47.75
161.	-,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,-	50.46
162.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,-	45.23
163.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,-	54.26
164.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,-	55.85
165.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,-	46.73
166.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,-	10.00
167.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2013-14	57.66
168.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,-	40.98
169.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,-	52.56

1	2	3	4	5	6
170.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	2013-14	47.04
171.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,-	34.59
172.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,-	36.73
173.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,-	57.39
174.	-,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,-	58.79
175.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,-	50.24
176.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	148	-,-	58.09
177.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	138	-,-	49.20
178.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,-	41.12
179.	-,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,-	59.21
180.	-,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,-	67.40
181.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	2014-15	50.29
182.	-,-	भू-जल संरक्षण, भामटा	92	-,-	56.86
183.	-,-	चारागाह विकास, खमसजवानी	42	-,-	63.89
184.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	64.86
185.	-,-	चारागाह विकास, चूनाभट्टी	58	-,-	62.13
186.	-,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,-	84.54
187.	-,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	60	-,-	61.91
188.	-,-	चारागाह विकास, बोरी	286	-,-	39.06
189.	-,-	चारागाह विकास, कालीकण्डी	298	-,-	52.17
190.	राजपुर	चारागाह विकास, मण्डवाडी	14	-,-	42.48
191.	-,-	चारागाह विकास, धमोडी	36	-,-	55.44
192.	-,-	चारागाह विकास, सगाईमोड़ी	31	-,-	61.89
193.	-,-	वृक्षारोपण, दानोद	26	-,-	50.00
194.	-,-	वृक्षारोपण, सगाईमोड़ी	31	-,-	50.00
195.	-,-	वृक्षारोपण, टाकली	11	-,-	50.00
196.	-,-	वृक्षारोपण, टाकली	11	-,-	12.88
197.	-,-	वृक्षारोपण, रोझानी	21	-,-	40.00
198.	-,-	वृक्षारोपण, सामरतलाई	2	-,-	30.00
199.	पाटी	चारागाह विकास, लाईझापी	120	-,-	47.77
200.	-,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,-	67.67

1	2	3	4	5	6
201.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बीजासन	95	2014-15	39.81
202.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	105	-,-	34.07
203.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	114	-,-	58.27
204.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,-	49.05
205.	-,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,-	56.10
206.	-,-	भू-जल संरक्षण, भादल	146	-,-	68.08
207.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	148	-,-	55.91
208.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	136	-,-	65.31
209.	-,-	भू-जल संरक्षण, खेरवानी	138	-,-	37.59
210.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,-	88.78
211.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	-,-	37.04
212.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,-	45.83
213.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,-	56.91
214.	बोकराटा	चारागाह विकास, उबादगढ	206	-,-	57.20
215.	-,-	चारागाह विकास, पिपरकूण्ड	216	-,-	89.86
216.	-,-	चारागाह विकास, गारा	270	-,-	43.11
217.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	184	-,-	39.86
218.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	260	-,-	60.68
219.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	223	-,-	48.65
220.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	237	-,-	53.93
221.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,-	58.65
222.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,-	43.44
223.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,-	59.74
224.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	264	-,-	40.28
225.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावड़ी	278	-,-	54.91
226.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, लेखड़ा	169	2015-16	64.67
227.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,-	27.08
228.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	156	-,-	44.31
229.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	177	-,-	34.65
230.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार	245	-,-	59.53
231.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	237	-,-	62.40
232.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	249	-,-	75.09

1	2	3	4	5	6
233.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार	278	2015-16	54.11
234.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	264	-,,-	67.58
235.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	184	-,,-	48.54
236.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	220	-,,-	53.67
237.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	223	-,,-	74.26
238.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	231	-,,-	46.25
239.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, बोम्या	87	-,,-	59.41
240.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बीजासन	95	-,,-	63.02
241.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	105	-,,-	56.34
242.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	50.99
243.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	114	-,,-	93.86
244.	-,,-	भू-जल संरक्षण, खेरवानी	153	-,,-	63.95
245.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	148	-,,-	55.27
246.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	141	-,,-	54.61
247.	-,,-	भू-जल संरक्षण, भादल	147	-,,-	58.77
248.	-,,-	भू-जल संरक्षण, सुस्तीखेड़ा	302	-,,-	23.71
249.	बड़वानी	चारागाह विकास, चूनाभट्टी	58	-,,-	64.67
250.	-,,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	61	-,,-	48.41
251.	-,,-	चारागाह विकास, खमसजवानी	42	-,,-	69.90
252.	-,,-	चारागाह विकास, रेहगून	49	-,,-	67.12
253.	-,,-	चारागाह विकास, काजलमाता	300	-,,-	38.11
254.	-,,-	चारागाह विकास, बोरी	286	-,,-	60.25
255.	पाटी	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,,-	70.19
256.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	120	-,,-	80.05
257.	बोकराटा	चारागाह विकास, भैसारी	271	-,,-	74.01
258.	-,,-	चारागाह विकास, डाबरी	207	-,,-	116.37
259.	-,,-	चारागाह विकास, शिवनी	217	-,,-	247.67
260.	-,,-	चारागाह विकास, शिवनी	226	-,,-	354.17
261.	राजपुर	चारागाह विकास, मण्डवाडी	13	-,,-	94.36
262.	-,,-	चारागाह विकास, धमोड़ी	37	-,,-	66.91

### कार्यालय, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के तथा इस कार्यालय की कार्य आयोजना की कंडिका 27.3.4 के अनुसार चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्व निमाड़, खण्डवा जिले के वनमण्डल सामान्य खण्डवा के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के कूपों बांस एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में दिनांक 01 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं. जो कोई पशु स्वामी/चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध वन नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

### वर्ष 2016-17 के लिये चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण

#### सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्यवृत्त का नाम	कार्यस्थल/ कक्ष क्रमांक (नया/पुराना)	रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
चांदगढ़	सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2015-16	I.W.C.	251	180.51
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	257	95.79
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	256	125.40
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	300	91.85
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	241	98.38
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	277	143.83
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	275	179.47
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	459	87.57
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	468	78.11
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	470	174.08
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	481	90.54
पूर्व काली	--,,--	I.W.C.	602	194.88
खण्डवा	--,,--	I.W.C.	26	104.21
पुनासा	--,,--	I.W.C.	188	167.22
पुनासा	--,,--	I.W.C.	186	120.61
पुनासा	--,,--	I.W.C.	217	69.69
पुनासा	--,,--	I.W.C.	171	134.84
पुनासा	--,,--	I.W.C.	190	141.00
बलडी	--,,--	I.W.C.	393	55.02
बलडी	--,,--	I.W.C.	401	83.09
मूंदी	--,,--	I.W.C.	148	189.90
मूंदी	--,,--	I.W.C.	146	147.74
योग चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17		--	--	2753.73

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17	S.C.I.	786	99.29
खालवा	--,,--	S.C.I.	785	100.26
खालवा	--,,--	S.C.I.	790	174.29
खालवा	--,,--	S.C.I.	837	143.43
खालवा	--,,--	S.C.I.	766	126.45
खालवा	--,,--	S.C.I.	815	72.24
खालवा	--,,--	S.C.I.	816	106.86
खालवा	--,,--	S.C.I.	795	99.94
खालवा	--,,--	S.C.I.	809	145.92
खालवा	--,,--	S.C.I.	805	75.12
खालवा	--,,--	S.C.I.	782	131.91
खालवा	--,,--	S.C.I.	820	86.73
खालवा	--,,--	S.C.I.	794	103.61
खालवा	--,,--	S.C.I.	825	96.69
खालवा	--,,--	S.C.I.	814	100.57
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1663.31</b>
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	887	67.51
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	893	93.68
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	891	129.91
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	890	89.42
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	871	130.02
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	918	69.15
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	919	81.63
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	924	73.79
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	882	89.03
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	868	152.06
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	845	95.95
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	913	113.17
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I.	858	105.58
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1290.90</b>
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	569	173.59
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	616	196.08
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	584	92.07
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	562	67.25
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	563	113.52

1	2	3	4	5
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17	S.C.I.	623	149.14
पूर्व कालीभीत	---	S.C.I.	633	157.57
पूर्व कालीभीत	---	S.C.I.	608	185.83
योग ..		..	..	1135.05
आंवलिया	---	S.C.I.	487	76.28
आंवलिया	---	S.C.I.	508	125.29
आंवलिया	---	S.C.I.	512	85.24
आंवलिया	---	S.C.I.	523	137.3
आंवलिया	---	S.C.I.	528	134.11
आंवलिया	---	S.C.I.	545	159.26
आंवलिया	---	S.C.I.	540	145.58
आंवलिया	---	S.C.I.	494	133.91
योग ..		..	..	996.97
गुडी	---	S.C.I.	753	112.53
गुडी	---	S.C.I.	755	92.00
गुडी	---	S.C.I.	758	78.07
गुडी	---	S.C.I.	776	82.99
गुडी	---	S.C.I.	779	95.01
गुडी	---	S.C.I.	775	82.77
योग चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17				5629.60
चांदगढ़	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त कूप नंबर 03 प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17	R.D.F.	307	21.12
सिगाजी	---	R.D.F.	457	25.94
सिगाजी	---	R.D.F.	463	55.84
सिगाजी	---	R.D.F.	474	59.52
सिगाजी	---	R.D.F.	674	68.67
आंवलिया	---	R.D.F.	500	48.89
खण्डवा	---	R.D.F.	716	75.71
खण्डवा	---	R.D.F.	731	46.81
खण्डवा	---	R.D.F.	719	51.89
खण्डवा	---	R.D.F.	17	44.89
खण्डवा	---	R.D.F.	709	66.69
खण्डवा	---	R.D.F.	722	44.44
खण्डवा	---	R.D.F.	712	52.96
खण्डवा	---	R.D.F.	725	49.15



1	2	3	4	5
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त कूप नंबर 03 प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17	R.D.F.	68	57.09
पुनासा	--,,--	R.D.F.	173	91.15
पुनासा	--,,--	R.D.F.	180	29.80
बलड़ी	--,,--	R.D.F.	432	27.53
मूंदी	--,,--	R.D.F.	80	32.56
मूंदी	--,,--	R.D.F.	73	130.55
मूंदी	--,,--	R.D.F.	U-645	43.28
<b>योग बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त कूप नंबर 03</b> प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17		..	..	<b>1124.48</b>
पुनासा	नदीय तटीय कार्यवृत्त कूप नंबर 02 प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17		208	141.76
पुनासा	--,,--		218	58.59
पुनासा	--,,--		165	87.57
<b>योग ..</b>			..	<b>287.92</b>
मूंदी	--,,--		136	97.88
मूंदी	--,,--		144	54.2
मूंदी	--,,--		140	71.64
<b>योग ..</b>			..	<b>223.72</b>
<b>योग नदीय तटीय कार्यवृत्त कूप नंबर 02</b> प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17				<b>511.64</b>
चांदगढ़	जलीय एवं दलदलीय कार्यवृत्त कूप नंबर 03 प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17		248	69.07
चांदगढ़	--,,--		336, 337	89.79
चांदगढ़	--,,--		344,345	49.31
पुनासा	--,,--		199	53.73
पुनासा	--,,--		224	81.62
बलड़ी	--,,--		389	67.32
मूंदी	--,,--		89	95.66
मूंदी	--,,--		95	154.33
मूंदी	--,,--		103	87.57
मूंदी	--,,--		114	64.54
मूंदी	--,,--		117	17.49
<b>योग जलीय एवं दलदलीय कार्यवृत्त कूप नंबर 03</b> प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17			..	<b>830.43</b>

1	2	3	4	5
चांदगढ़	अंजन संरक्षण कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17		282	158.41
चांदगढ़	--,,--		283	203.63
चांदगढ़	--,,--		286	165.59
पुनासा	--,,--		166,188	1011.50
पुनासा	--,,--		156,157	801.83
मूंदी	--,,--		130, 132, 134, 139, 140	308.63
मूंदी	--,,--		133, 144, 145	279.71
मूंदी	--,,--		123	28
अंजन संरक्षण कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17			..	2957.30
खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17	Plantation	653	32.6
खण्डवा	--,,--	Plantation	32	43.61
खण्डवा	--,,--	Plantation	730	62.62
सिंगाजी	--,,--	Plantation	693	40.95
सिंगाजी	--,,--	Plantation	694	34.67
सिंगाजी	--,,--	Plantation	676	20.76
सिंगाजी	--,,--	Plantation	677	12.93
सिंगाजी	--,,--	Plantation	678	19.80
सिंगाजी	--,,--	Plantation	465	57.53
सिंगाजी	--,,--	Plantation	689	14.69
सिंगाजी	--,,--	Plantation	690	24.87
खालवा	--,,--	Plantation	840	37.0
खालवा	--,,--	Plantation	841	20.3
खालवा	--,,--	Plantation	829	51.93
खालवा	--,,--	Plantation	969	57.24
खालवा	--,,--	Plantation	957	61.52
गुडी	--,,--	Plantation	743	58.11
गुडी	--,,--	Plantation	746	68.91
पश्चिम कालीभीत	--,,--	Plantation	917	32.01
योग मिश्रित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2016-17			..	752.050

1	2	3	4	5
सिंगाजी	मिश्रित वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रोपण कार्य वर्ष 2015-16		465	65.38
सिंगाजी	--,,--		475	26.69
खण्डवा	--,,--		651	34.13
खण्डवा	--,,--		34	53.7
खण्डवा	--,,--		67	44.44
खण्डवा	--,,--		37	10.13
खण्डवा	--,,--		653	34.48
खण्डवा	--,,--		730	75.74
खण्डवा	--,,--		34	49.41
गुडी सा.	--,,--		746 I धनोरा	57.87
गुडी सा.	--,,--		746 II धनोरा	50.00
गुडी सा.	--,,--		746 II धनोरा	22.63
खालवा	--,,--		RF 840	51.92
खालवा	--,,--		RF 969	74.84
खालवा	--,,--		957	26.28
पश्चिम कालीभीत	--,,--		917-1	37.41
पश्चिम कालीभीत	--,,--		917-2	39.10
बलडी	--,,--		704	38.60
पुनासा	--,,--		640	18.47
पुनासा	--,,--		994	26.72
योग मिश्रित वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रोपण कार्य वर्ष 2015-16			..	837.94
सिंगाजी	मिश्रित वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रोपण वर्ष 2014-15	Plantation	465	40.00
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U-702	18.00
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U-682	13.21
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U-689	16.00
खालवा	--,,--	Plantation	840	49.00
खालवा	--,,--	Plantation	P-951	22.00
खालवा	--,,--	Plantation	968	40.00
योग मिश्रित वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रोपण वर्ष 2014-15			..	198.21
खालवा	मिश्रित वृक्षारोपण चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	945	50.00
पश्चिम. का.		Plantation	917	50.00
गुडी		Plantation	741	50.00
योग ..			..	150.00

1	2	3	4	5
पश्चिम कालीभीत	मिश्रित वृक्षारोपण पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	917	20.00
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	741	30.00
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	746	50.00
खालवा	मिश्रित वृक्षारोपण पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	948	50.00
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>150.00</b>
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	P-967	50.00
खालवा	--,,--	Plantation	970	50.00
खालवा	--,,--	Plantation	782	50.00
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>150.00</b>
खालवा	मिश्रित वृक्षारोपण सप्तम् वर्ष रखरखाव	Plantation	971	50.00
प.का.	--,,--	Plantation	917	50.00
गुडी	--,,--	Plantation	749	50.00
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>150.00</b>
<b>योग मिश्रित वृक्षारोपण रखरखाव कार्य</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1636.15</b>
सिंगाजी	बांस वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रोपण कार्य		464	100.00
सिंगाजी	--,,--		474	125.00
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>225.00</b>
गुडी	बांस वृक्षारोपण चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य		753	50.00
गुडी	--,,--		755	50.00
<b>योग .</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>100.00</b>
खालवा	बांस वृक्षारोपण पंचम् वर्ष रखरखाव कार्य		816	50.00
खालवा	--,,--		796	50.00
<b>योग .</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>100.00</b>
गुडी	बांस वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य		753	50.00
गुडी	--,,--		747	50.00
<b>योग .</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>100.00</b>
प. का.	बांस वृक्षारोपण सप्तम् वर्ष रखरखाव कार्य		918	20.00
प. का.	--,,--		895	30.00
खालवा	--,,--		823	25.00
खालवा	--,,--		816	25.00
<b>योग ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>100.00</b>
<b>महायोग बांस वृक्षारोपण रखरखाव कार्य</b>				<b>625.00</b>

1	2	3	4	5
खण्डवा	सागौन वृक्षारोपण पंचम् वर्ष रख-रखाव कार्य		4	40.00
योग ..		..	..	40.00
मूंदी	ओकारेश्वर निधि षष्टम् वर्ष रख-रखाव		80	50
गुडी	--,,--		P-967	50
योग ..		..	..	100
मूंदी	ओकारेश्वर निधि षष्टम् वर्ष रख-रखाव कार्य		80-2	50.00
मूंदी	--,,--		80-3	50.00
योग ..		..	..	100
महायोग ओकारेश्वर निधि वृक्षारोपण रख-रखाव कार्य				200.00
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2015-16	I.F.S.	26	145.51
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	599	201.34
पुनासा	--,,--	I.F.S.	188	145.21
पुनासा	--,,--	I.F.S.	186	105.99
पुनासा	--,,--	I.F.S.	217	26.36
पुनासा	--,,--	I.F.S.	181	123.14
पुनासा	--,,--	I.F.S.	190	106.33
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	256	171.39
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	277	121.00
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	257	165.64
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	282	158.41
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	300	140.18
सिगाजी	--,,--	I.F.S.	450	79.32
सिगाजी	--,,--	I.F.S.	451	99.13
सिगाजी	--,,--	I.F.S.	468	91.02
सिगाजी	--,,--	I.F.S.	470	76.68
सिगाजी	--,,--	I.F.S.	481	95.05
बलड़ी	--,,--	I.F.S.	401	63.69
बलड़ी	--,,--	I.F.S.	393	31.33
मूंदी	--,,--	I.F.S.	146	157.80
मूंदी	--,,--	I.F.S.	148	146.59
योग ..		..	..	2451.11

1	2	3	4	5
सिंगाजी	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव	I.F.S.	471	233.33
	<b>वर्ष 2014-15</b>			
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	451	212.17
बलड़ी	--,,--	I.F.S.	394	136.51
बलड़ी	--,,--	I.F.S.	402	136.37
मूंदी	--,,--	I.F.S.	96	176.92
मूंदी	--,,--	I.F.S.	149	128.42
मूंदी	--,,--	I.F.S.	136, 137	135.67
मूंदी	--,,--	I.F.S.	123	150.93
पुनासा	--,,--	I.F.S.	190	144.23
पुनासा	--,,--	I.F.S.	165	157.15
पुनासा	--,,--	I.F.S.	197	146.88
पुनासा	--,,--	I.F.S.	186	182.03
पुनासा	--,,--	I.F.S.	151	155.55
पुनासा	--,,--	I.F.S.	225, 226	141.79
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	261	135.22
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	259	176.56
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	303	150.78
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	241	218.62
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	236	108.22
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	242	150.08
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	291	140.30
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	593	70.42
	<b>योग ..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>3388.15</b>
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रख-रखाव	I.F.S.	22	179.28
	<b>वर्ष 2013-14</b>			
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	460	228.06
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	474	229.94
मूंदी	--,,--	I.F.S.	137	170.55
मूंदी	--,,--	I.F.S.	145	198.54
मूंदी	--,,--	I.F.S.	92	127.58
मूंदी	--,,--	I.F.S.	93	109.12
मूंदी	--,,--	I.F.S.	124	176.63
पुनासा	--,,--	I.F.S.	189	109.35
पुनासा	--,,--	I.F.S.	187	170.07

1	2	3	4	5
पुनासा	सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	I.F.S.	152	307.88
	<b>वर्ष 2013-14</b>			
पुनासा	--,,--	I.F.S.	197	169.52
पुनासा	--,,--	I.F.S.	226,227	184.29
पुनासा	--,,--	I.F.S.	202	139.50
बलडी	--,,--	I.F.S.	403	142.67
बलडी	--,,--	I.F.S.	386	144.04
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	261	186.3
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	259	167.11
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	283	112.91
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	291	132.49
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	249,243,285	205.21
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	236	154.83
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	239	217.65
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	593	134.11
	<b>योग ..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>4097.63</b>
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य	I.F.S.	22	195.38
	<b>वर्ष 2012-13</b>			
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	475	241.15
मूंदी	--,,--	I.F.S.	137	113.13
मूंदी	--,,--	I.F.S.	145	133.43
मूंदी	--,,--	I.F.S.	119	82.72
मूंदी	--,,--	I.F.S.	118	84.96
मूंदी	--,,--	I.F.S.	91	192.70
पुनासा	--,,--	I.F.S.	204, P-229	154.65
पुनासा	--,,--	I.F.S.	201	230.33
पुनासा	--,,--	I.F.S.	189	177.01
पुनासा	--,,--	I.F.S.	181	137.38
पुनासा	--,,--	I.F.S.	187	209.40
पुनासा	--,,--	I.F.S.	170	156.15
बलडी	--,,--	I.F.S.	403	186.38
बलडी	--,,--	I.F.S.	382	56.55
बलडी	--,,--	I.F.S.	P-380	31.51
बलडी	--,,--	I.F.S.	381	14.62
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	260 A	34.40

1	2	3	4	5
चांदगढ	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2012-13	I.F.S.	261	171.84
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	259	157.95
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	283	130.43
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	291	153.32
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	286	134.43
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	236	114.00
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	239	150.30
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	593	166.91
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	U-707	60.98
आंवलिया	--,,--	I.F.S.	U-705	64.59
आंवलिया	--,,--	I.F.S.	U-706	29.25
<b>योग सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2012-13</b>				<b>3765.85</b>
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2011-12	I.F.S.	16	114.30
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	458, 495	235.87
मूंदी	--,,--	I.F.S.	137	151.78
मूंदी	--,,--	I.F.S.	149	167.40
मूंदी	--,,--	I.F.S.	119	173.30
मूंदी	--,,--	I.F.S.	106	106.20
मूंदी	--,,--	I.F.S.	109	24.15
पुनासा	--,,--	I.F.S.	228, P229	169.03
पुनासा	--,,--	I.F.S.	201	160.65
पुनासा	--,,--	I.F.S.	158	156.00
पुनासा	--,,--	I.F.S.	P-185	109.73
पुनासा	--,,--	I.F.S.	156	121.05
पुनासा	--,,--	I.F.S.	170	136.80
बलडी	--,,--	I.F.S.	402	102.34
बलडी	--,,--	I.F.S.	383	94.36
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	268, 269	234.39
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	263	131.05
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	281	215.99



1	2	3	4	5
चांदगढ़	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2011-12	I.F.S.	319, 291	84.63
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	286	160.84
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	238	146.55
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	234	237.77
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	604	102.38
<b>योग रखरखाव ..</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>3336.56</b>
<b>महायोग सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव</b>				<b>17039.30</b>
आंवलिया	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2015-16	S.C.I	487	87.42
आंवलिया	--,,--	S.C.I	508	150.23
आंवलिया	--,,--	S.C.I	514	115.91
आंवलिया	--,,--	S.C.I	521	111.29
आंवलिया	--,,--	S.C.I	528	149.64
आंवलिया	--,,--	S.C.I	536	142.6
आंवलिया	--,,--	S.C.I	534	163.75
आंवलिया	--,,--	S.C.I	492	189.21
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	569	68.85
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	618	215.17
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	584	155.64
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	574	181.37
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	561	134.64
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	567	144.26
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	622	139.54
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	626	110.34
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	591	172.24
खालवा	--,,--	S.C.I	751	149.18
खालवा	--,,--	S.C.I	766	128.02
खालवा	--,,--	S.C.I	782	138.92
खालवा	--,,--	S.C.I	785	93.69
खालवा	--,,--	S.C.I	786	95.26
खालवा	--,,--	S.C.I	794	78.35
खालवा	--,,--	S.C.I	795	122.25
खालवा	--,,--	S.C.I	809	138.42
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2015-16	S.C.I	802	90.94
खालवा	--,,--	S.C.I	815	65.64

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त प्रथम क्षेत्र वर्ष तैयारी वर्ष 2015-16	S.C.I	811	98.3
खालवा	--,,--	S.C.I	819	70.71
खालवा	--,,--	S.C.I	816	84.33
खालवा	--,,--	S.C.I	837	104.86
खालवा	--,,--	S.C.I	825	85.94
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	887	80.72
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	97.8
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	891	113.9
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	890	100.84
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	871	129.34
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	72.17
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	104
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	924	92.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	882	72.04
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	861	103.75
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	847	151.89
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	912	82.16
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	852	108.98
गुडी	--,,--	S.C.I	753	98.66
गुडी	--,,--	S.C.I	755	98.15
गुडी	--,,--	S.C.I	759	103.5
गुडी	--,,--	S.C.I	776	98.2
गुडी	--,,--	S.C.I	779	97.02
गुडी	--,,--	S.C.I	775	72.33
योग चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त वर्ष 2015-16		..	..	5854.98
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2014-15	S.C.I	587	112.5
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	578	238.7
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	600	274.1
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	567	195.08
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	626	145.72
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	572	84.35
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	548	106.71
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	622	173.98

1	2	3	4	5
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव	S.C.I	618	142.2
	<b>वर्ष 2014-15</b>			
आंबलिया	--,,--	S.C.I	492 A	117.10
आंबलिया	--,,--	S.C.I	507	140.10
आंबलिया	--,,--	S.C.I	511	104.63
आंबलिया	--,,--	S.C.I	521	101.70
आंबलिया	--,,--	S.C.I	522	133.94
आंबलिया	--,,--	S.C.I	536	129.37
आंबलिया	--,,--	S.C.I	534	103.61
खालवा	--,,--	S.C.I	751	103.12
खालवा	--,,--	S.C.I	786	102.98
खालवा	--,,--	S.C.I	788	76.75
खालवा	--,,--	S.C.I	825	64.16
खालवा	--,,--	S.C.I	837	89.30
खालवा	--,,--	S.C.I	811	107.32
खालवा	--,,--	S.C.I	819	99.90
खालवा	--,,--	S.C.I	816	85.12
खालवा	--,,--	S.C.I	815	83.12
खालवा	--,,--	S.C.I	809	149.55
खालवा	--,,--	S.C.I	795	98.77
खालवा	--,,--	S.C.I	802	102.60
खालवा	--,,--	S.C.I	785	99.10
खालवा	--,,--	S.C.I	782	89.10
खालवा	--,,--	S.C.I	766	86.93
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925	86.48
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	93.95
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	97.27
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	909	73.35
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	890	100.58
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	892	90.91
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	87.12
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	879	80.80
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	98.25
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	861	128.61
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	847	113.86
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	852	126.67

1	2	3	4	5
पश्चिम कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव	S.C.I	887	73.96
<b>वर्ष 2014-15</b>				
गुडी	--,,--	S.C.I	748	353.53
गुडी	--,,--	S.C.I	756	70.90
गुडी	--,,--	S.C.I	759	131.50
गुडी	--,,--	S.C.I	775	117.30
गुडी	--,,--	S.C.I	776	95.84
गुडी	--,,--	S.C.I	768	144.37
<b>योग :</b>		..	..	<b>5906.86</b>
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रखरखाव	S.C.I	587	115.20
<b>वर्ष 2013-14</b>				
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	621	135.90
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	632	151.35
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	572	173.25
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	547	82.13
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	568	195.33
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	619	164.79
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	592, 607	243.28
आंवलिया	--,,--	S.C.I	505	85.72
आंवलिया	--,,--	S.C.I	522	95.62
आंवलिया	--,,--	S.C.I	577	164.30
आंवलिया	--,,--	S.C.I	536	141.50
आंवलिया	--,,--	S.C.I	534	162.73
आंवलिया	--,,--	S.C.I	486	70.20
आंवलिया	--,,--	S.C.I	521	153.90
आंवलिया	--,,--	S.C.I	512	98.10
खालवा	--,,--	S.C.I	751	111.37
खालवा	--,,--	S.C.I	789	117.45
खालवा	--,,--	S.C.I	788	82.60
खालवा	--,,--	S.C.I	825	81.12
खालवा	--,,--	S.C.I	823	83.70
खालवा	--,,--	S.C.I	811	88.40
खालवा	--,,--	S.C.I	819	101.90
खालवा	--,,--	S.C.I	816	106.42
खालवा	--,,--	S.C.I	815	87.43
खालवा	--,,--	S.C.I	810	108.37

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रखरखाव	S.C.I	795	89.55
<b>वर्ष 2013-14</b>				
खालवा	--,,--	S.C.I	802	99.87
खालवा	--,,--	S.C.I	785	96.30
खालवा	--,,--	S.C.I	782	110.25
खालवा	--,,--	S.C.I	766	67.72
गुडी	--,,--	S.C.I	748	100.15
गुडी	--,,--	S.C.I	756	73.85
गुडी	--,,--	S.C.I	759	110.70
गुडी	--,,--	S.C.I	775	94.35
गुडी	--,,--	S.C.I	776	82.32
गुडी	--,,--	S.C.I	768	151.87
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925	74.30
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	92.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	108.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	909	96.10
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	908	79.44
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	892	73.35
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	92.52
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	879	83.27
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	84.74
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	862	113.55
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	860	99.67
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	853	90.85
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	887	72.45
<b>योग-चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव</b>		..	..	<b>5440.47</b>
<b>वर्ष 2013-14</b>				
पूर्व काली.	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव	S.C.I	577	101.23
<b>वर्ष 2012-13</b>				
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	587	110.04
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	621	99.45
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	632	138.96
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	572	185.63
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	561	96.75
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	568	183.15
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	619	174.60

1	2	3	4	5
पूर्व काली.	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2012-13	S.C.I	592	189.18
आंबलिया	--,,--	S.C.I	513 A	168.42
आंबलिया	--,,--	S.C.I	493	102.02
आंबलिया	--,,--	S.C.I	509	115.33
आंबलिया	--,,--	S.C.I	514	114.52
आंबलिया	--,,--	S.C.I	521	121.06
आंबलिया	--,,--	S.C.I	522	132.76
आंबलिया	--,,--	S.C.I	544	140.41
आंबलिया	--,,--	S.C.I	535	142.89
गुडी	--,,--	S.C.I	752	94.95
गुडी	--,,--	S.C.I	756	82.17
गुडी	--,,--	S.C.I	759	161.00
गुडी	--,,--	S.C.I	775	141.30
गुडी	--,,--	S.C.I	770	79.62
गुडी	--,,--	S.C.I	768	173.47
खालवा	--,,--	S.C.I	773	117.90
खालवा	--,,--	S.C.I	789	106.46
खालवा	--,,--	S.C.I	788	77.85
खालवा	--,,--	S.C.I	825	80.32
खालवा	--,,--	S.C.I	823	88.42
खालवा	--,,--	S.C.I	811	111.15
खालवा	--,,--	S.C.I	819	77.17
खालवा	--,,--	S.C.I	816	112.14
खालवा	--,,--	S.C.I	815	70.65
खालवा	--,,--	S.C.I	796	108.15
खालवा	--,,--	S.C.I	795	86.32
खालवा	--,,--	S.C.I	802	76.72
खालवा	--,,--	S.C.I	801	121.45
खालवा	--,,--	S.C.I	782	114.30
खालवा	--,,--	S.C.I	766	70.12
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925	79.87
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	926	73.85
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	915	77.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	911	94.65
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	908	90.90

1	2	3	4	5
पश्चिम कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2012-13	S.C.I	892	72.22
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	79.20
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	879	91.39
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	108.85
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	862	85.72
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	860	100.12
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	853	84.42
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	929	146.37
योग-चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2012-13		..	..	5653.21
पूर्व काली.	चयन सह सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2011-12	S.C.I	579	77.17
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	581A	150.38
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	621	149.67
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	627	121.92
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	572	100.35
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	562, 557, 558 A	228.95
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	595	148.50
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	613	163.62
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	594	106.20
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	513 A	79.87
आंबलिया	--,,--	S.C.I	493	94.50
आंबलिया	--,,--	S.C.I	504	132.98
आंबलिया	--,,--	S.C.I	516	199.57
आंबलिया	--,,--	S.C.I	529	96.98
आंबलिया	--,,--	S.C.I	532	68.95
आंबलिया	--,,--	S.C.I	544	166.19
आंबलिया	--,,--	S.C.I	535	126.68
गुडी	--,,--	S.C.I	752	85.72
गुडी	--,,--	S.C.I	757	107.27
गुडी	--,,--	S.C.I	759	139.50
गुडी	--,,--	S.C.I	775	108.17
गुडी	--,,--	S.C.I	770	85.82
गुडी	--,,--	S.C.I	768	125.10

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य	S.C.I	773	116.55
	वर्ष 2011-12			
खालवा	--,,--	S.C.I	789	137.25
खालवा	--,,--	S.C.I	788	63.22
खालवा	--,,--	S.C.I	825	90.55
खालवा	--,,--	S.C.I	823	110.15
खालवा	--,,--	S.C.I	811	101.15
खालवा	--,,--	S.C.I	819	106.65
खालवा	--,,--	S.C.I	816	125.50
खालवा	--,,--	S.C.I	808	103.42
खालवा	--,,--	S.C.I	796	89.10
खालवा	--,,--	S.C.I	806	110.40
खालवा	--,,--	S.C.I	802	91.12
खालवा	--,,--	S.C.I	801	84.25
खालवा	--,,--	S.C.I	783	98.35
खालवा	--,,--	S.C.I	762	93.91
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925, 928	81.50
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	926	110.79
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	915	80.80
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	911	85.07
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	907	90.22
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	892	81.90
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	896	131.97
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	878	70.65
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	97.20
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	862	102.30
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	860	107.99
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	853	79.42
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	886	74.26
	योग एस.सी.आई. रखरखाव	..	..	5579.70
	महायोग चयन सह सुधार कार्यवृत्त रखरखाव	..	..	28435.22
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य	R.D.F.	716 बोरी	61.34
	वर्ष 2014-15			
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	722 हीरापुर	44.07
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	725 घाटाखेडी	62.45



1	2	3	4	5
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य	R.D.F.	731 बोरगाँव	60.74
<b>वर्ष 2014-15</b>				
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	719 गम्भीरपुरा	50.43
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	714 दीवाल	67.05
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	709 माण्डवा	71.2
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	712 जामली	34.34
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	23 द केसून	67.85
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	68 जामनिया	53.82
मूंदी	--,"--	R.D.F.	649	19.13
मूंदी	--,"--	R.D.F.	74	80.69
मूंदी	--,"--	R.D.F.	80	23.4
चांदगढ़	--,"--	R.D.F.	307	24.35
पुनासा	--,"--	R.D.F.	180	33.37
सिगाजी	--,"--	R.D.F.	463	48.01
सिगाजी	--,"--	R.D.F.	673	37.24
सिगाजी	--,"--	R.D.F.	474	67.56
सिगाजी	--,"--	R.D.F.	455	35.5
सिगाजी	--,"--	R.D.F.	668	19.81
गुडी	--,"--	R.D.F.	742	52.7
बलड़ी	--,"--	R.D.F.	427	4.68
बलड़ी	--,"--	R.D.F.	408	2.55
बलड़ी	--,"--	R.D.F.	430	8.9
आंवलिया	--,"--	R.D.F.	499	13.23
आंवलिया	--,"--	R.D.F.	524	20.27
<b>योग:</b>		..	..	<b>1064.7</b>
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य	R.D.F.	716	56.83
<b>वर्ष 2013-14</b>				
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	723	54.03
खण्डवा	--,"--	R.D.F.	726	45.81
सिगाजी	--,"--	R.D.F.	462	197.36
मूंदी	--,"--	R.D.F.	74	103.31
पुनासा	--,"--	R.D.F.	211	131.94
खालवा	--,"--	R.D.F.		27.47
गुडी	--,"--	R.D.F.	741	47.55
गुडी	--,"--	R.D.F.	747	40.00
पश्चिम कालीभीत	--,"--	R.D.F.		38.66
<b>योग:</b>		..	..	<b>742.96</b>

1	2	3	4	5
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार स्खरखाव कार्य वर्ष 2012-13	R.D.F.	716	50.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	722	50.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	727	56.67
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462-1	70.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462-2	70.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462-3	72.15
पुनासा	--,,--	R.D.F.	212-1	50.63
पुनासा	--,,--	R.D.F.	212-2	56.00
मुंदी	--,,--	R.D.F.	74	90.80
गुडी	--,,--	R.D.F.	741	37.55
गुडी	--,,--	R.D.F.	747	30.00
गुडी	--,,--	R.D.F.	742	20.00
खालवा	--,,--	R.D.F.	969	27.47
पश्चिम कालीभीत	--,,--	R.D.F.	935	38.66
<b>योग बिगड़े वनों का सुधार स्खरखाव कार्य वर्ष 2012-13</b>		...	..	<b>719.93</b>
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त स्खरखाव कार्य वर्ष 2011-12	R.D.F.	716	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	717	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	721	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	722	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	723	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	724	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	725	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	726	75.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	727	81.90
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	731	75.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	476-1	100.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	476-2	100.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	476-3	100.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	476-4	55.55
पुनासा	--,,--	R.D.F.	203-1	50.00
पुनासा	--,,--	R.D.F.	203-2	46.69
मुंदी	--,,--	R.D.F.	75-1	50.00
मुंदी	--,,--	R.D.F.	75-2	40.00
मुंदी	--,,--	R.D.F.	75-3	40.00

1	2	3	4	5
मूंदी	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2011-12	R.D.F.	75-4	25.09
खालवा	--,,--	R.D.F.	840	27.47
गुडी	--,,--	R.D.F.	741	30.00
गुडी	--,,--	R.D.F.	742	20.00
गुडी	--,,--	R.D.F.	747	37.55
पश्चिम कालीभीत	--,,--	R.D.F.	854	38.66
योग बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2011-12		..	..	1517.91
महायोग ..		..	..	4045.48
खण्डवा	अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2013-14	E.R.D.F.	710	45.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	711	50.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	714	45.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	715	45.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	718	40.00
गुडी	--,,--	E.R.D.F.	744	40.00
योग ..		..	..	265.00
खण्डवा	अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13	E.R.D.F.	709	46.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	711	30.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	712	35.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	715	47.90
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	718	58.50
गुडी	--,,--	E.R.D.F.	744	48.12
योग अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13		..	..	265.52
खण्डवा	अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2011-12	E.R.D.F.	709	40.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	711	35.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	715	40.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	718	40.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	719	40.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	720	40.00
गुडी	--,,--	E.R.D.F.	744	30.00
योग अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2011-12		..	..	265.00
महायोग ई. आर. डी. एफ.		..	..	795.52

1	2	3	4	5
पुनासा	अंजन वृक्षों का संरक्षण रखरखाव कार्य वर्ष 2015-16		155,161	534.67
पुनासा	--,,--		165	475.13
चांदगढ़	--,,--		305	191.96
चांदगढ़	--,,--		280	357.77
चांदगढ़	--,,--		304	335.35
चांदगढ़	--,,--		281	292.02
मूंदी	--,,--		130,132, 134,139	308.63
मूंदी	--,,--		133,144, 145	279.71
मूंदी	--,,--		123.00	28.00
<b>योग अंजन वृक्षों का संरक्षण रखरखाव कार्य वर्ष 2015-16</b>				<b>2803.24</b>

एस. एस. रावत,  
वनसंरक्षक.

(573)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	अवंतिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	52/01-02-1975

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 मार्च, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज-लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	अवंतिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	52/01-02-1975	श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक..... 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(574)

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिकली, पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 22 फरवरी, 1977, आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिकली, पंजीयन क्रमांक 420, दिनांक 22 फरवरी, 1977 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(574-A)

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरा, पंजीयन क्रमांक 633, दिनांक 18 दिसम्बर, 1983, आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरा, पंजीयन क्रमांक 633, दिनांक 18 दिसम्बर, 1983 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(574-B)

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	संकल्प शासकीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1864/08-09-2014	743/08-03-2016	743/08-03-2016
2.	लोअर सिंध गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	41/11-02-1964	2467/26-10-2013	1210/01-06-2016
3.	अर्पण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1422/27-04-19	2467/26-10-2013	1210/01-06-2016

अतः मैं, एन. के. राय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(575)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत ]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	नूतन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरवर.	98/10-07-2008	580/25-02-2016	580/25-02-2016
2.	श्री नित्यानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया जागीर.	96/16-06-2008	580/25-02-2016	580/25-02-2016
3.	दीपक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुंडला सुलेमान.	64/18-07-2003	580/25-02-2016	580/25-02-2016
4.	बिल्केश्वर महादेव संतरा उत्पादक विप. प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., तराना.	1711/26-02-2008	1524/09-07-2013	1210/01-06-2016
5.	श्री महाकाल कृषि उपज विपणन सहकारी संस्था समिति मर्यादित, उज्जैन.	1524/08-04-2000	1524/09-07-2013	1210/01-06-2016
6.	उज्जैनिया कृषि उपज भण्डारण प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1562/10-05-2001	1524/09-07-2013	1210/01-06-2016

अतः मैं, एन. के. राय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. के. राय,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(575-A)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 01 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम-1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सह. संस्था, पचेड़	1947/17-12-2014	742/08-03-2016
2.	शीतला माता बीज उत्पादक सह. संस्था, तुलाहेड़ा	1950/19-12-2014	742/08-03-2016
3.	महाकाल बीज उत्पादक सह. संस्था, बिछडौदखालसा	1954/22-12-2014	742/08-03-2016
4.	ऊँ गुरुकृपा बीज उत्पादक सह. संस्था, उज्जैनिया	2066/27-03-2015	862/21-03-2016

अतः मैं, मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत दावेदारों/सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन उक्त समितियों का कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा कोई भी सामान या रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकॉर्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 01 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

मुकेश गुप्ता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(576)

## जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, उज्जैन

दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./16-17/76.— जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/यू. जे. एन.-74, दिनांक 25 फरवरी, 1962 है, को कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्रमांक/विधि/2016/161, उज्जैन दिनांक 9 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक- 57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है की वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,  
परिसमापक.

(577)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1801.— अनुसूचित जाति, जनजाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहना, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./397, दिनांक 26 जून, 2006 है, के संबंध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के अकार्यशील होने के कारण लगातार तीन वर्षों से अंकेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर 'डी' वर्ग अंतर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है। जिसके कारण धारा-69 (3) के अन्तर्गत आपको कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र के जबाव में आपके द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपने आवेदन में 15 दिवस का अवसर प्रदाय करने का आवेदन देकर आज दिनांक तक कोई भी जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्धारित समयवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहना, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ, और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी घाटीगाँव, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(578)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./419, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 है, के संबंध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69 (3) के अंतर्गत आपको कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 को जारी किया गया।



कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर विद्यमान न होने के कारण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 अगस्त, 2015 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालन में कोई रूचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ, और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी डबरा, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(578-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

रक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./135, दिनांक 23 जून, 1987 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/720A, ग्वालियर, दिनांक 23 मई, 2013 से परिसमापन में लाया गया था। जिसके परिसमापक श्री राजीव कुमार कौशिक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुनः जीवित करने हेतु अनुशंसा की है। इस बावत् संस्था की आमसभा दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को आयोजित की गई आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 से संस्था को पुनः जीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा निर्णय लिया गया है कि संस्था के सदस्य संस्था को क्रियाशील कर कार्ययोजना के आधार पर कार्य कर संस्था को एक सक्षम इकाई बनाया जावेगा एवं तय किया गया कि संस्था के सभी सदस्य मिलकर सहकारी विधान एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का संचालन करेंगे।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर, परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था के सदस्यों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था की क्रियाशीलता एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करती हूँ तथा सदस्यों से अपेक्षा करती हूँ कि इस आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें। संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था के सदस्यों की निम्नानुसार कमेटी गठित कर कार्यकारिणी समिति को नामांकित किया जाता है।—

1. डॉ. ए. के. गुप्ता	अध्यक्ष
2. डॉ. ए. के. गोयल	उपाध्यक्ष
3. श्री बद्रीप्रसाद	सदस्य
4. श्री राम आसरे	सदस्य
5. श्री हरि मोहन स्वर्णकार	सदस्य
6. श्री जगदीश प्रसाद	सदस्य
7. श्री सतीश भार्गव	सदस्य
8. डॉ. जी. एम. कन्नन	सदस्य
9. श्री रामाराव घोरपडे	सदस्य
10. श्री राम सिंह	सदस्य
11. डॉ. सुशील शर्मा	सदस्य

उक्त प्रबंधकारिणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचित प्राधिकारी भोपाल को विधिवत आवेदन कर निर्वाचन करावे।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(578-B)

अनुभा सूद,  
उप-पंजीयक.

## कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना

गुना, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/178.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक/जी.एन.ए./एच.ओ./102, दिनांक 12 सितम्बर, 1963 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर के आदेश क्र./परि./2016/283, ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एस. पी. कौशिक,  
परिसमापक.

(579)

## कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 19 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./व्यू/1.— उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परि./2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./परि./2016/1613, दिनांक 13 मई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	कालरी कर्म. प्रा. उपभोक्ता भंडार, रावनवाडाखास	216/09-06-1964
2.	वैभव प्रियंका महिला उप. भंडार, न्यूटन	512/02-06-1965
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पटपडा	765/22-11-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ठिसगोरा	780/16-03-2012
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पलटवाडा	795/28-04-2012
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, हरिहेट	796/28-04-2012
7.	कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लीखावाडी	871/10-01-2014
8.	श्री हिंगलाज बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, शीलादेही	875/10-01-2014
9.	श्री राम फूल, फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सह. समिति मर्या., लीखावाडी	885/10-01-2014
10.	जय किसान सेवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति, मर्या., मोरडोंगरी	889/10-01-2014
11.	शुभम एग्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उमरेठ	892/10-01-2014
12.	जय बजरंग फूल, फूल, साग-सब्जी उत्पा. प्राथ. सह. समिति मर्या., बिजोरीगुमाई	1004/10-01-2014
13.	श्री राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रिधोरामाल	851/10-01-2014

1	2	3
14.	पुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पुरा	771/01-03-2012
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तालपिपरिया	583/17-06-1998
16.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्यादित, डोगरपरासिया	1069/18-01-2016
17.	आस्था कर्मचारी उपभोक्ता भंडार, सिरगोरा	702/09-01-2008
18.	महाशक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दा पिंडरई	658/01-03-2005
19.	कन्हान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिंदरई गुरैयाथार	890/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580) पी. के. नासेरी,  
परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता वि. अ.

**कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा**

दिनांक 19 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./क्यू/1.— उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परि./2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./परि./2016/1613, दिनांक 13 मई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	ज्योती बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	396/17-01-1981
2.	कविता बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव	512/10-04-1995
3.	जवाहर बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	249/27-02-1965
4.	सुभाष बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	219/27-02-1965
5.	इंडियन कुक्कड उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	758/26-01-2011
6.	सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	751/03-02-2011
7.	कल्पतरू फल, फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सह. समिति मर्या., सौंसर	906/10-01-2014
8.	माँ भगवती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सरासांवरी	907/10-01-2014
9.	श्री विट्ठल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बेरडी	908/10-01-2014
10.	ठिया बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति, मर्या., रामाकोना	909/10-01-2014
11.	वाटिका बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कोदाडोगरी	910/10-01-2014
12.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव	918/10-01-2014

1	2	3
13.	आदर्श फल, फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुम्मा	920/10-01-2014
14.	श्री दत्त बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खापरखेडा	924/10-01-2014
15.	जय हरि किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुम्मा	982/10-01-2014
16.	श्री आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव	983/10-01-2014
17.	उन्नत बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टूनवाडा	984/10-01-2014
18.	जय माँ गायत्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पंधराखेडी	990/10-01-2014
19.	श्री हरि कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	998/10-01-2014
20.	जय अम्बे बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	67/12-03-1984
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भुम्मा	816/10-01-2014
22.	लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	58/03-03-1984
23.	दि मोहगांव बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव हवेली	564/31-01-1947
24.	पंचशील बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर	255/22-03-1965
25.	शिवाजी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, लोधीखेडा	60/03-03-1984
26.	भोलेनाथ बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांवहवेली	377/25-11-1978
27.	कुशल बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांवहवेली	66/09-03-1984
28.	लोधीखेडा खादी उद्योग सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	37/07-03-1960
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेरडी	776/01-03-2012
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव	813/10-01-2014
31.	ओम साईनाथ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बडोसा	977/10-01-2014
32.	साई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जाम (सांवली)	981/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. सी. माहोरे,

परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता वि. अ.

(581)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 15 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1627.— राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, वि.ख. रेहली, जिला सागर, पंजीयन क्र. 1019, दिनांक 21 जनवरी, 2003 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 20 मई, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/785, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, वि.खं. रेहली, जिला सागर, पंजीयन क्र. 1019, दिनांक 21 जनवरी, 2003 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती वन्दना	श्री विजय प्यासी	अध्यक्ष	7.	श्रीमती प्रेमरानी	श्री शैलेश राजपूत	सदस्य
2.	श्रीमती कविता	श्री बलिराम गोड़	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती उषारानी	श्री मुन्ना विश्वकर्मा	सदस्य
3.	श्रीमती शील रानी	श्री बुद्धा गोड़	सदस्य	9.	श्रीमती सुहागरानी	श्री तुलसीराम रजक	सदस्य
4.	श्रीमती कोशलया	श्री रज्जन पटेल	सदस्य	10.	श्रीमती सरोज	श्री रामू गोड़	सदस्य
5.	श्रीमती कुसुमरानी	श्री विष्णु विश्वकर्मा	सदस्य	11.	श्रीमती सारारानी	श्री किशोरी अहिरवार	सदस्य
6.	श्रीमती रश्मि	श्री हरगोविन्द दुबे	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(582)

सागर, दिनांक 15 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

श्रीराम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिछिया, वि.खं. रेहली, जिला सागर, पंजीयन क्र. 826, दिनांक 20 मई, 2002 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/784, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 20 मई, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/785, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए श्रीराम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिछिया, वि.खं. रेहली, जिला सागर, पंजीयन क्र. 826, दिनांक 20 मई, 2002 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती द्रोपती बाई	श्री ईश्वरदास	अध्यक्ष	7.	श्रीमती अंगूरी बाई	श्री भोलाराम	सदस्य
2.	श्रीमती अशोक रानी	श्री धनीराम	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती चन्द्र रानी	श्री मुलू	सदस्य
3.	श्रीमती श्री बाई	श्री भगवानदास	सदस्य	9.	श्रीमती मालती बाई	श्री बलराम	सदस्य
4.	श्रीमती रूकमणि	श्री बलिराम	सदस्य	10.	श्रीमती मायारानी	श्री जुगल	सदस्य
5.	श्रीमती जनकरानी	श्री चन्द्रभान	सदस्य	11.	श्रीमती शीलाबाई	श्री गनेश	सदस्य
6.	श्रीमती हरी बाई	श्री छोटे लाल	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(582-A)

पी. आर. कावड़कर,  
उप-रजिस्ट्रार.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

साथिया प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खरगौन,

पोस्ट खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

साथिया प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1431, दिनांक 14 जुलाई, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

शिवा बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भौडवी,

पोस्ट झिरन्या, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन.

शिवा बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भौडवी, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1578, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.

7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(583-A)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बाखेड़ा,

पोस्ट भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बाखेड़ा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1460, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(583-B)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

साईं बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर,

पोस्ट मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

साईं बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1672,

दिनांक 26 नवम्बर, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-C)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

श्री बालाजी प्राथमिक भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर,

पोस्ट मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

श्री बालाजी प्राथमिक भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1676, दिनांक 05 फरवरी, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-D)



**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवलपुरा मण्डलेश्वर,

पोस्ट मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवलपुरा मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-E)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

वैभवी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या,

तहसील झिरन्या, जिला खरगौन.

वैभवी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1981, दिनांक 19 जून, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-F)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

साक्षी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., मुंडिया,

पोस्ट चिरिया, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन.

साक्षी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., मुंडिया, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1978, दिनांक 12 मई, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-G)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

शिव शक्ति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर,

पोस्ट रतनपुर, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन.

शिव शक्ति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1665, दिनांक 28 अगस्त, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(583-H)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

आदर्श महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भीकनगांव,

तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन.

आदर्श महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक ..... है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(583-I)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

माँ वैष्णो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, कसरावद,

पोस्ट कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन.

माँ वैष्णो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1552, दिनांक 17 जुलाई, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-J)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

आदर्श प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., खरगौन,

पोस्ट खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

आदर्श प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1539, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-K)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

रायल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खरगौन,

पोस्ट खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

रायल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1469, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-L)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

सेवा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, खरगौन,

तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

सेवा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1468, दिनांक 18 नवम्बर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(583-M)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

श्रीजी प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार, कसरावद,

तहसील कसरावद, जिला खरगौन.

श्रीजी प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार, कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1450, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(583-N)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

सनावद महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सनावद,

पोस्ट सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

सनावद महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1229, दिनांक 28 जुलाई, 1999 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583-0)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

आशीर्वाद प्राथमिक उपभोक्ता, सहकारी भण्डार मर्या., कसरावद,

पोस्ट कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन.

आशीर्वाद प्राथमिक उपभोक्ता, सहकारी भण्डार मर्या., कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1449, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(583-P)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 30 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/953.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1284, धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याकामीन, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एल. पंवार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2015/1016, धार, दिनांक 04 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ओ. पी. राठौर, विस्तार पर्यवेक्षक, धामनोद (दुग्ध संघ) को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री ओ. पी. राठौर, विस्तार पर्यवेक्षक धामनोद (दुग्ध संघ) द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याकामीन, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-रजिस्ट्रार.

(583)





# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016-श्रावण 14, शके 1938

भाग 3 ( 2 )

निरंक